The Hindu- 24- February-2023

Idukki dam's low water level points to bleak power scene

It has storage of about 51% of its capacity, which will not suffice to meet the power demand till June 15, say officials. Without ample summer rain, power generation in May could be impacted.

Sandeep Vellaram
IDUKKI

With the summer setting in, the water level in the Idukki dam has been dropping and the storage level has reached this water year's (June to May) lowest. According to Kerala State Electricity Board (KSEB) dam safety officials, the level has dipped considerably when compared to the same day the previous year. The water level was 2,356.68 ft on Thursday and the present storage level was 51.48% as against 72.37% last year. The water level on the same day last year was 2,378.60 ft.

Downward trend

Idukki dam
Full reservoir level
2,403 ft

	Water level	Storage
Feb. 23, 2023	2,356.68 ft	51.48%
Feb. 23, 2022	2,378.6 ft	72.37%

Storage in key hydel dams on Tuesday

Pampa	59%	Thariyode	46%
Sholayar	92%	Anayirankal	100%
Edamalayar	52%	Ponmudi	68%
Kundala	94%	Neriamangalam	43%
Mattupetty	86%	Peringalkuthu	24%
Kuttiyady	47%	Lower Periyar	65%

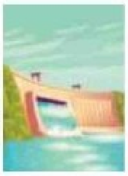

> The absence of proper northeast monsoon and water release from the dam resulted in the low storage this year.
>
> **KSEB DAM SAFETY OFFICIAL**

Reasons for low storage

"The absence of proper northeast monsoon and water release from the Idukki dam resulted in the low storage this year," said a KSEB dam safety official.

"The dam shutters were opened last August to follow the rule curve. The shutters of the Cheruthoni dam were opened from August 7 to 14, 2022 and 109.592 million cubic metres (mcm) of water was released. The released water could have generated 161.24 million units (mu) of power," said the official.

The official said the new water year begins on June 1. "At present, Idukki has storage of over 51% of its total capacity, which will not be enough to meet the power demand till June 15. If we do not get proper summer rain it will affect the power generation in May," said the official.

"Also, if power generation in the Moolamattom power plant is reduced, it will affect the quantity of tail race water (water released from the power plant to the Muvattupuzha river after power generation), which, in turn, will affect the availability of drinking water in Ernakulam and Alappuzha districts," said the official.

Mint- 24- February-2023

Over 8 mn new tap connections in UP

The Uttar Pradesh government has provided tap water connections to more than 8.1 million rural households in the state including over 830,000 in Bundelkhand and around 350,000 in Vindhya regions under the Jal Jeevan Mission, according to official data.

The latest data sourced from the UP Jal Shakti ministry showed that the state ranks fourth in the country in terms of providing functional household tap connections (FHTC) under the Jal Jeevan Mission—Har Ghar Jal initiative of the Centre.

According to the data, as of 21 February, Bihar tops among states having provided 15.9 million tap water connections, whereas Maharashtra is second with 10.7 million and Gujarat comes third with 9.1 million connections to rural households.

The statistics showed that tap water connections have been provided to altogether 8.1 million rural households in UP to date. PTI

Hindustan Times- 24- February-2023

DHARA 2023: Annual Meet of "River-Cities Alliance"

National Mission for Clean Ganga and National Institute of Urban Affairs organised DHARA 2023– Driving Holistic Action for Urban Rivers on Feb 13-14 in Pune. The opening session was presided over by the Union Minister for Jal Shakti Gajendra Singh Shekhawat. .

Punjab Kesri- 24- February-2023

राजस्थान से पानी का हक छीनना चाहती है म.प्र. सरकार : गहलोत

जयपुर, (बनवारी कुमावत): मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी) के चल रहे काम पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका राजस्थान को अपने हिस्से के पानी से वंचित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का काम रुकवाकर पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों-झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर और अजमेर के हक का पानी रुकवाने की कोशिश की जा रही है। गहलोत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की डीपीआर केन्द्रीय जल आयोग की गाइडलाइंस-2010 के अनुरूप है।

यह परियोजना राजस्थान-मध्य प्रदेश अंतर्राज्यीय स्टेट कंट्रोल बोर्ड की बैठक के निर्णय के अनुसार बनाई गई है। इसी निर्णय को आधार बनाकर मध्य प्रदेश ने अपने यहां कुण्डलिया और मोहनपुरा बांध निर्मित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि धौलपुर में केन्द्रीय जल आयोग के रिवर गेज स्टेशन के आंकड़ों के अनुसार हर वर्ष चंबल से औसतन 19,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी व्यर्थ बहकर समुद्र में जाता है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए केवल 3500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार राज्य के लोगों के बेहतर भविष्य हेतु पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Rajasthan Patrika- 24- February-2023

प्रसंगवश

कागजी योजनाओं से नहीं बढ़ेगा भू-जल स्तर

अगर भूमिगत जल स्तर बढ़ाने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई, तो बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा

जल ही जीवन है। अगर पानी नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। प्रदेश में भू-जल स्तर बढ़ाने को लेकर जो गंभीरता बरतनी चाहिए, वह नहीं दिख रही है। तापमान बढ़ने के साथ ही भूमिगत जल स्तर में ज्यादा गिरावट नजर आने लगी है। आंकड़ों और विभिन्न रिपोर्टों की मानें तो प्रदेश में भूमिगत जल की स्थिति ठीक नहीं है। राज्य में महज 5 जिला मुख्यालयों के शहर ही सुरक्षित हैं। 5 शहर गंभीर तो 23 शहरों में अतिदोहन की स्थिति है। प्रदेश के 219 ब्लॉकों में पानी का अतिदोहन हो रहा है। उदयपुर, टोंक, बूंदी, चूरू गंभीर स्थिति और पाली डार्क जोन में हैं।

दरअसल, भूजल विभाग की रिपोर्ट के हिसाब से जलस्तर को लेकर हालात ठीक नहीं हैं। जिस स्तर पर पानी संरक्षित करने के लिए काम करना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। योजनाएं कागजों में सिमट कर रह गई हैं। शहरी के साथ ही ग्रामीण इलाकों में ट्यूबवेल और अन्य माध्यमों में अतिदोहन किया जा रहा है। नगरीय निकायों में मानकों के विपरीत भवन अनुज्ञा दी जा रही है। जल संरक्षणकी व्यवस्था को कागजों तक ही सीमित रखा जा रहा है, जबकि निर्धारित सीमा से बड़ी जगह बनाए जा रहे नए भवनों में वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूर लगाना चाहिए, ताकि पानी को संचित किया जा सके।

भूजल स्तर गिरने के कई कारक हैं। वर्षा के जल को सही ढंग से संचित न करने के कारण लाखों-करोड़ों लीटर पानी हर साल व्यर्थ हो जाता है। झीलों और तालाबों के पेटे पर तेजी से हो रहे अतिक्रमण के कारण प्राकृतिक जल मार्ग बाधिक हो गए हैं। उदयपुर जैसे शहर में तालाबों के किनारे अतिक्रमण से जो स्थिति बन रही है, वह भविष्य में इसकी नैसर्गिक खूबसूरती और तालाबों की सेहत पर भारी पड़ने वाली है। कामोबेश यही हालात राजस्थान के दूसरे जिलों में देखने को मिल रहे हैं। निगरानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से ट्यूबवेल से निजी आवासों में मनमाने ढंग से दोहन हो रहा है। इस पर लगाम लगाने के लिए कहीं भी प्रशासनिक अमला सक्रिय नहीं दिखता है। ऐसे में अगर भूमिगत जल स्तर बढ़ाने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई, तो आने वाले समय में बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। शासन-प्रशासन को चाहिए कि वह कागजों की बजाय धरातल पर योजनाओं का क्रियान्वयन करे। जो पानी को बर्बाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जल के प्राकृतिक मार्गों को जिन्होंने अवरुद्ध किया है, उन पर ठोस कार्रवाई की जाए। (अ.श्री.)

Rajasthan Patrika- 24- February-2023

सुप्रीम कोर्ट : राजस्थान सरकार से मांगा जवाब

ईआरसीपी पर रोक के लिए एमपी सरकार की याचिका

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. प्रदेश के 13 जिलों को पानी पहुंचाने के लिए तैयार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को लेकर नया खतरा पैदा हो गया है। मध्यप्रदेश सरकार ने योजना को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

उधर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि मध्यप्रदेश सरकार परियोजना का काम रुकवाकर पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर और अजमेर के हक का पानी रुकवाने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्रीय जलशक्ति व पर्यावरण मंत्रालय के साथ ही केंद्रीय जल आयोग, राजस्थान सरकार व उत्तरप्रदेश सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। अब सुनवाई 17 मार्च को होगी। गौरतलब है कि राजस्थान 3500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी के आधार पर परियोजना को अंतिम रूप दे रहा है, जबकि केंद्र सरकार 1700 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी के आधार पर परियोजना बनाने को कह रहा है।

याचिका में क्या कहा गया

याचिका में कहा कि चंबल नदी राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश से गुजरती है। 1024 किमी लंबी इस नदी का 376 किमी हिस्सा एमपी, 249 किमी राजस्थान और 216 किमी एमपी व राजस्थान दोनों की सीमा से गुजरता है। यह यूपी में यमुना में मिल जाती है। डीपीआर के अनुसार राजस्थान में चार बांध बनाए जा रहे हैं। गाइडलाइन के अनुसार राजस्थान बहाव क्षेत्र के पानी की 75% डिपेंडेबिलिटी के आधार पर परियोजना बना सकता है, लेकिन राजस्थान ने 50% डिपेंडेबिलिटी के आधार पर ही परियोजना को अंतिम रूप देने की तैयारी कर ली है।